खंड 1 संख्या 128

राष्ट्र महिला

मार्च 2010

राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा प्रकाशित

सम्पादकीय

8 मार्च का दिन विश्वभर में महिला संगठनों द्वारा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। सभी महाद्वीपों की महिलाएं - भले ही उन्हें राष्ट्रीय सीमाएं तथा जातीय, भाषायी, सांस्कृतिक, आर्थिक एवं राजनीतिक विभिन्नताएं अलग करती हों - इस दिन एकता प्रदर्शन समारोह में एकजुट हो जाती हैं। वे विगत के उस दशकों लम्बी परम्परा पर दृष्टि डालती हैं जो उनकी समानता, न्याय, शान्ति तथा विकास का प्रतीक है।

अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस सामान्य महिलाओं द्वारा इतिहास रचे जाने की कहानी है। सदियों से समाज में महिलाओं को पुरुषों के बराबर स्थान प्राप्त कराने के प्रयासों में इसकी बुनियाद है।

अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का विचार उन्नीसवीं सदी के प्रारम्भ में प्रखर हुआ जब औद्योगीकरण के विस्तार के साथ कोलाहलमय वातावरण बन रहा था, जनसंख्या में तेज़ी से वृद्धि हो रही थी तथा क्रान्तिकारी विचारधाराएं पनप रही थीं।

उन प्रारंभिक दिनों से अब तक, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस ने विकसित एवं विकासशील देशों में समान रूप से महिलाओं के लिए एक नया विश्वव्यापी आयाम प्राप्त कर लिया है। बढ़ते हुए अंतर्राष्ट्रीय महिला आंदोलन ने, जो संयुक्त राष्ट्र संगठन द्वारा विश्व में आयोजित महिला सम्मेलनों से और भी सुदृढ़ हुआ है, इस दिवस को महिलाओं के अधिकारों तथा आर्थिक और राजनीतिक प्रक्रियाओं में उनकी भागीदारी की मांगों को मनवाने के समन्वित प्रयत्न का केन्द्र-बिन्दु बना दिया है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस लगातार इस बात पर विचार करने का अवसर प्रदान करता है कि इस दिशा में क्या प्रगति हुई है और किन परिवर्तनों का आह्वान किया जाये। जिन साधारण महिलाओं ने महिला अधिकारों के इतिहास में असाधारण भूमिका अदा की है, उनके साहस एवं दृढ़ संकल्प के कृत्यों को इस दिन याद किया जाता है।

गत पचास वर्षों के दौरान, महिला आन्दोलन ने सही अर्थों में एक विश्वव्यापी आयाम हासिल कर लिया है। संयुक्त राष्ट्र संघ की आम सभा का विशेष अधिवेशन "बीजिंग प्लस फाइव" दर्शाता है कि यद्यपि हम 1995 के बीजिंग सम्मेलन में की गई सिफारिशों को कुछ क्षेत्रों में लागू करने की दिशा में अग्रसर हुए हैं, फिर भी अभी कुछ ऐसे अनेक मुद्दे हैं जिन पर आगे

चर्चा में

अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस

बढ़ने के लिए हमें गंभीर प्रयास करने हैं। परन्तु बीजिंग में विभिन्न देशों की सरकारों द्वारा दिए गये वचन स्पष्ट संकेत देते हैं कि अब यह महसूस किया जाने लगा है कि विश्व की सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक समस्याओं के समाधान के किसी भी प्रयास में महिला समानता का मुद्दा एक प्रमुख बिन्दु होना चाहिए।

अनेक देशों ने अपने संविधान में अथवा कानूनी सुधारों में ऐसे उपबंध शामिल कर लिए हैं जिनमें पुरुष-महिला का भेदभाव किए बिना मानवाधिकारों के उपभोग की गारंटी दी गयी है, पक्षपाती उपबंधों को हटा दिया गया है और महिलाओं को अपने अधिकारों के प्रति सचेत करने तथा उक्त अधिकारों तक उनकी पहुँच सुनिश्चित करने वाले कानूनी, शैक्षिक तथा अन्य प्रावधानों का समावेश किया गया है।

फिर भी, बहुत कुछ किया जाना शेष है, आजादी के 62 वर्षों बाद, असाधारण मात्रा में कानूनों की मौजूदगी के बावजूद, भारत में महिलाएं अब भी अपने आप को बेड़ियों में जकड़ा हुआ पाती हैं। सर्वोपरि है वैश्वीकरण, उदारीकरण, आर्थिक पुर्नरचना तथा निजीकरण का उनपर विपरीत प्रभाव। महिलाओं ने, विशेषकर वयप्राप्त तथा परिवारों की मुखिा महिलाओं में, गरीबी बढ़ी है। बेरोजगारी और अल्परोजगारी में उनका अनुपात बहुत अधिक है। बाल-विवाह, घरेलू हिंसा, दहेज की मांग, नारी भ्रूण हत्या, बलात्कार और अपर्याप्त स्वास्थ्य सेवा का खामियाजा उन्हें अब भी अपने जीवन का मूल्य देकर चुकाना पड़ता है।

महिलाएं आज भी अपने आप को हर जगह शोषण-प्राय पाती हैं - कार्यस्थल पर; स्वास्थ्य, शिक्षा और रोज़गार जैसी अपनी बुनियादी आवश्यकताओं के मामलों में; यहां तक कि स्वयं अपने घरों में।

इसिलए, महिलाओं की दशा सुधारने के लिए हमें अधिक संख्या में लड़कियों को स्कूल भेजना होगा और केवल साक्षर बनाने के बजाय उन्हें अच्छी शिक्षा देनी होगी। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को हमें महिलाओं के लिए सुलभ बनाना होगा ताकि चिकित्सा सुविधा की अनुपलब्धता के कारण ग्रामीण इलाकों में प्रसव के समय प्रति वर्ष सहस्रों महिलाएं मृत्यु का शिकार न बनें। सबसे महत्वपूर्ण बात है सम्पत्ति संबंधी कानूनों में सुधार लाना ताकि लिंग समानता वास्तविक स्वरूप ले सके। जबकि ये परिवर्तन आवश्यक हैं, ये तब तक बेमानी रहेंगे तब तक कि हम एक समाज के नाते अपनी महिलाओं को प्रतिष्ठा, स्वतंत्रता तथा अवसरों के उनके अधिकार उन्हें उपलब्ध नहीं कराते। जब महिलाएं समृद्ध होती हैं तो समस्त समाज लाभान्वित होता है और आने वाली पीढ़ियों को एक बेहतर जीवन प्रारंभ करने का अधार मिल जाता है।

आयोग ने सभी दलों से महिला आरक्षण विधेयक के समर्थन की अपील की

राष्ट्रीय महिला आयोग ने महिला आरक्षण विधेयक पर अपने कार्यालय में एक प्रेस सम्मेलन आयोजित किया। मीडिया के अतिरिक्त इसमें विभिन्न महिला संगठनों के प्रतिनिधि भी उपस्थित थे। अध्यक्षा डॉ. गिरिजा व्यास ने कांग्रेस, भाजपा, जनता दल (यू) तथा वामपंथी दलों को विधेयक का समर्थन करने के लिए, जिसमें लोक सभा तथा राज्यों की विधान सभाओं में महिलाओं को 33% आरक्षण प्रदान किया गया है, धन्यवाद दिया।

उन्होंने समाजवादी पार्टी तथा राष्ट्रीय जनता दल से महिला आरक्षण विधेयक का समर्थन करने की अपील की।

डॉ. व्यास ने कहा : "यह एक ऐसा विधेयक है जिसमें न केवल महिलाओं के सशक्तिकरण पर अपितु भविष्य की पीढ़ियों पर दूरगामी परिणाम होंगे, और संसद सदस्यों को इसके पारित करने में भागीदार बनने का यह स्वर्णिम अवसर है।"

आयोग की अध्यक्षा महिला आरक्षण विधेयक पर बुलाए गए प्रेस सम्मेलन को सम्बोधित करते हुए।

आरक्षण विधेयक पर महिला कार्यकर्ताओं के साथ चर्चा करते हुए अध्यक्षा। बायीं ओर सदस्या यास्मीन अब्रार

समाजवादी पार्टी तथा राष्ट्रीय जनता दल की 'आरक्षण के अंदर आरक्षण' की मांग पर टिप्पणी करते हुए उन्होंने कहा कि यह सम्भव नहीं है। अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों को पहले से ही आरक्षण प्राप्त है और इस वर्ग में आरक्षण की आवश्यकता नहीं है।

बाल बलात्कार / कदाचार में उत्तर प्रदेश सबसे ऊपर

बाल बलात्कार तथा बाल कदाचार के मामलों में उत्तर प्रदेश सब राज्यों से आगे है।

राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो तथा राष्ट्रीय बालाधिकार आयोग के अनुसार, वर्ष 2008 में देश में बाल बलात्कार के 5,446 मामले दर्ज किए गए जिनमें से लगभग 900 उत्तर प्रदेश के थे।

वर्ष 2007 में बाल कदाचार, जिसमें छेड़छाड़ भी शामिल है, के 298 मामलों में से 61 उत्तर प्रदेश के थे।

सजा दिलाए जाने और मामलों के निपटान किए जाने की दर भी बहुत निराशाजनक है। बाल कदाचार के 61 मामलों में से अब तक केवल 8 का निपटान हुआ है।

दूसरा स्थान मध्य प्रदेश का है जहां बाल बलात्कार के 892 मामले और यौन कदाचार के 18 मामले दर्ज किए गये। तीसरे स्थान पर महाराष्ट्र क्रमशः 690 और 9 मामलों के साथ आता है।

दिल्ली में बाल बलात्कार के 301 तथा बाल यौन कदाचार के 52 मामले दर्ज किए गये। कर्नाटक में यह संख्या क्रमशः 97 और 9 है, गुजरात में 99 और 6, राजस्थान में 420 और 5, आन्ध्र प्रदेश में 412 और 16, बिहार में 91 और 15 तथा उड़ीसा में 65 और 22 है।

वर्ष 2007 में किए गये पहले सरकारी सर्वेक्षण में कहा गया था कि लगभग 53% बच्चों को यौन कदाचार का सामना करना पड़ता है। इनमें अधिकतर 5-12 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों को भरोसेमंद तथा आधिकारिक व्यक्तियों के हाथ कदाचार सहना पड़ता है। सबसे चिंतनीय बात यह है कि कदाचार भोगी 70% बच्चे मामलों की शिकायत नहीं करते।

नेपाली प्रतिनिधि-मंडल का आयोग में आगमन

नेपाल के विभिन्न मीडिया संगठनों की 12 महिला सम्पादकों तथा पत्रकारों ने राष्ट्रीय महिला आयोग का दौरा किया और आयोग की अध्यक्षा, सदस्यों, सदस्य-सचिव तथा अधिकारियों के साथ विचार-विमर्श किया।

प्रतिनिधियों का स्वागत करते हुए, सदस्य-सचिव श्री एस. चटर्जी ने आयोग के मुख्य कृत्यों पर प्रकाश डाला जैसे शिकायतों का निवारण, कानूनों की पुनरीक्षा, महिलाओं के मुद्दों पर शोध तथा संशोधनों का सुझाव आदि।

एक प्रश्न का उत्तर देते हुए अध्यक्षा डॉ. गिरिजा व्यास ने कहा कि महिलाओं के प्रति होने वाले अत्याचारों के बारे में भारत में कुछ कठोर कानून हैं, किन्तु उनका क्रियान्वयन ढीला है। उन्होंने कहा कि ऐसे कानूनों के बारे में महिलाओं के बीच जागरुकता पैदा करने की दिशा में समाज एवं मीडिया की अहम भूमिका है।

आयोग की अध्यक्षा नेपाली प्रतिनिधि-मंडल की नेता के साथ बातचीत करते हुए।

चर्चा में भाग लेते हुए, आयोग के विधि अधिकारी श्री योगेश मेहता ने कहा कि भारत सरकार बलात्कार संबंधी कानून की पुनरीक्षा करके बलात्कार की व्याख्या को विस्तारित कर रही है और यौन उत्पीड़ित महिलाओं के राहत, पुनर्वास तथा छुड़ाने का कार्यक्रम तैयार कर रही है।

नेपाली प्रतिनिधि-मंडल के सदस्यों ने महिलाओं के अनैतिक व्यापार पर चिंता व्यक्त की है जिससे भारत तथा नेपाल दोनों प्रभावित हैं और आशा व्यक्त की कि दोनों देश मिल कर इस समस्या को सुलझायेंगे।

सदस्यों के दौरे

- जबलपुर में महिला सशक्तिकरण पर राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा प्रायोजित तथा परिक्रमा महिला समिति द्वारा आयोजित एक सेमिनार में सदस्या यास्मीन अब्रार ने भाग लिया।

सम्मेलन को सम्बोधित करते हुए सुश्री यास्मीन अब्रार

सेमिनार में लगभग 175 महिलाएं उपस्थित थीं।

इस अवसर पर बोलते हुए सुश्री अब्रार ने कहा कि महिलाओं के प्रति किए जाने वाले अत्याचारों के विरुद्ध समस्त समाज को खड़ा हो जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि यदि सरकार, प्रशासन अथवा प्रभावशाली लोग महिलाओं के अधिकारों की रक्षा करने में असफल रहे तो राष्ट्रीय महिला आयोग इन कृत्यों का संज्ञान लेगा और आवश्यक कार्यवाही करेगा। बाद में, उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर विनय अम्बर द्वारा तैयार किए गये पोस्टरों का उद्घाटन किया।

- पश्चिम बंगाल में सिलीगुड़ी महिला कॉलेज के विद्यार्थियों द्वारा प्रिंसीपल के विरुद्ध की गई शिकायत की जांच-पड़ताल करने सदस्या वानसुक सयीम वहाँ गई।

महत्वपूर्ण निर्णय

● **तलाकशुदा मुस्लिम महिलाएं भरण-पोषण पाने की हकदार हैं : उच्च न्यायालय**

केरल उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ ने निर्णय दिया है कि यदि 'मुस्लिम महिला (तलाक पर अधिकारों की संरक्षा) अधिनियम, 1986' की धारा 3 के अंतर्गत किसी महिला को उसके पूर्व पति द्वारा भुगतान नहीं किया गया है तो उस तलाकशुदा मुस्लिम महिला का दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के अंतर्गत भरण-पोषण का दावा करने का दावा निष्प्रभ नहीं हो सकता।

खंडपीठ ने स्पष्ट किया कि तलाकशुदा मुस्लिम महिला तलाक की स्थिति में रहे आने तक अपने पूर्व पति से भरण-पोषण का दावा करने की हकदार है। किन्तु पुनर्विवाह हो जाने पर या भरण-पोषण का वास्तविक भुगतान किए जाने या अधिनियम की धारा 3 के अंतर्गत पर्याप्त प्रावधान कर दिए जाने पर, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के अंतर्गत भरण-पोषण का दावा करने का उसका दावा निष्प्रभ हो जायेगा।

● **मुकदमा न्यायालयों द्वारा गैर निवासी भारतीय के बच्चों की हिरासत का विवाद तय नहीं किया जा सकता : उच्च न्यायालय**

विदेशों में रहने वाले भारतीय दम्पत्तियों के बीच बच्चों की हिरासत को लेकर उठने वाले विवादों के बारे में दिल्ली उच्च न्यायालय ने एक पूर्वनिदर्शन कायम किया है। उच्च न्यायालय ने कहा कि यदि किसी बच्चे को उसके पिता अथवा माता द्वारा भारत में लाया जाता है और किसी स्थानीय न्यायालय में उसकी हिरासत की याचिका दायर कर दी जाती है तो दिल्ली के किसी न्यायालय का ऐसी याचिका स्वीकार करने का क्षेत्राधिकार नहीं है।

"जबकि दोनों पक्ष किसी देश के नागरिक हों, और उनसे उत्पन्न संतान भी उस देश की नागरिक हो, तो वहां से उस बच्चे को उसके पिता या माता द्वारा किसी अन्य देश ले जाकर यह कहने से कि पिता या माता वहीं रहना चाहता/चाहती है, पूर्वोक्त देश के न्यायालय का क्षेत्राधिकार समाप्त नहीं हो जाता।"

यह निर्णय देते हुए, न्यायाधीश ने कहा : "यदि इस बात की अनुमति दे दी जाये, तो माता या पिता के बीच विवाद होने पर उनमें से कोई भी पक्ष बच्चे को लेकर छुट्टी पर भारत आयेगा, नोटिस देगा कि आगे से उसने भारत में रहने का निर्णय किया है और भारत में बच्चे को लाने की युक्ति अपना कर दूसरे पक्ष को बच्चे की हिरासत से वंचित कर देगा।"

● **महिला अपने सास-ससुर के मकान पर दावा नहीं कर सकती**

मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट के आदेश के विरुद्ध एक महिला द्वारा की गई अपील को रद्द करते हुए दिल्ली के एक न्यायालय ने कहा कि कोई महिला घरेलू हिंसा अधिनियम के अंतर्गत अपने सास-ससुर के मकान में रहने का दावा नहीं कर सकती क्योंकि वह केवल अपने पति, बेटों और बेटियों से ही भरण-पोषण प्राप्त कर सकती है।

अग्रेतर सूचना के लिए देखिए हमारा वेबसाइट :
www.ncw.nic.in

अंतर-जातीय विवाह करने वाले दम्पत्ति को महाराष्ट्र 50 हजार रुपये देगा

अंतर-जातीय विवाहों को प्रोत्साहित करने वाला कदम उठाते हुए महाराष्ट्र सरकार ने निर्णय लिया है कि ऐसा विवाह करने वाले दम्पत्तियों को इस समय दी जाने वाली 15000 रुपये की राशि बढ़ा कर 50,000 रुपये कर दी जायेगी।

वित्तीय प्रोत्साहन देने का ध्येय ऊंची जातियों और नीची जातियों (अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों) के बीच विवाहों को बढ़ावा देना हे। ऐसे विवाहों का बहुधा दोनों पक्षों के माता-पिता विरोध करते हैं जिससे कि नव-विवाहितों को वित्तीय साधन उपलब्ध नहीं हो पाता। प्रस्तुत सहायता से वे अपने वैवाहिक जीवन को प्रारंभ कर सकेंगे।

इस मामले में महाराष्ट्र अन्य राज्यों, जैसे उत्तर प्रदेश, हरियाणा, गुजरात, उड़ीसा, मध्य प्रदेश और पंजाब आदि द्वारा स्थापित उदाहरणों का अनुकरण कर रहा है।

इस राशि का एक भाग दोनों के संयुक्त नाम में एक निर्धारित अवधि के लिए जमा कर दिया जाता है। दम्पत्ति को अपने तत्काल खर्च के लिए एक छोटी राशि दी जाती है और अन्य राशि से उनके लिए घरेलू सामान खरीदा जाता है।

क्या आप जानते हैं?

वर्ष 2006-2008 के दौरान दो लाख से अधिक महिलाएं देश में यौन अपराधों का शिकार हुई।

औसतन, लगभग 191 महिलाएं गत तीन वर्षों में प्रतिदिन बलात्कार, यौन उत्पीड़न या छेड़छाड़ की शिकार हुई। केन्द्र सरकार के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार, देश में 2006-08 के दौरान बलात्कार के कुल 61,552 मामले दर्ज किए गए।

जबकि 2006 में 19,348 मामले दर्ज हुए, यह संख्या 2007 में बढ़कर 20,737 और 2008 में 21,467 हो गयी। इसी प्रकार महिलाओं को यौनिक रूप से तंग किए जाने के कुल 33,130 मामले वर्ष 2006-08 के दौरान दर्ज हुए।

वर्ष 2006 में 9,966 मामले, 2007 में 10,950 मामले और 2008 में 12,214 मामले। वर्ष 2006-08 के दौरान छेड़छाड़ के कुल 1,15,764 मामले दर्ज किए गये।

राष्ट्रीय महिला आयोग, 4, दीन दयाल उपाध्याय मार्ग, नई दिल्ली-110002 द्वारा प्रकाशित। सम्पादक : गौरी सेन। आकांक्षा इम्प्रेशन, 18/36, गली नं. 5, रेलवे लाइन साईड, आनंद पर्वत इंडस्ट्रियल एरिया, न्यू रोहतक रोड, नई दिल्ली-5 द्वारा मुद्रित।